दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आ.प्र.अ. (मूल पक्ष) 37/2024 और सि.वि.आ. 17187/2024

विशाल बंग ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री कृष्णेन्दु दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री प्राची जौहरी, श्री अभिप्सा साहू और सुश्री वर्षा, अधिवक्तागण

बनाम

(रा.रा.क्षे.दि.) राज्य एवं अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: प्रत्यर्थी-2 हेतु श्री राजेश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री गौतम धमीजा, श्री कृष्ण मोहन मेनन और श्री धनंजय महलावत, अधिवक्तागण

निर्णय तिथि: 22 मार्च, 2024

कोरम:

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

निर्णय

मनमोहन, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति : (मौखिक)

सि.वि.आ. 17186/2024

सभी उचित अपवादों के अधीन, अनुमति दी गई।

तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटान किया जाता है।

केवियट 138/2024

चूंकि केवियटकर्ता/प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थिति दर्ज कराई है, इसलिए केवियट का निपटान किया जाता है।

आ.प्र.अ. (मूल पक्ष) 37/2024

1. वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 10 के तहत दायर की गई है, जिसमें वसीयती वाद सं. 36/2017 में पारित दिनांक 5 फरवरी, 2024 के आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21 मई, 2015 की विल के तहत लाभार्थी प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर अं.आ. सं. 18691/2023 को अनुमति दी थी।

2. उक्त अं.आ. सं. 18691/2023, भारतीय स्टेट बैंक, एनआरआई शाखा, मुंबई ('एनआरई सावधि जमा') में वसीयतकर्ता द्वारा रखे गए विभिन्न एनआरई सावधि जमाओं और एनआरई खातों की मूल्यांकन रिपोर्ट अभिलेख पर लेने और प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में प्रशासन/प्रोबेट के पत्र जारी करने के लिए निर्देश मांगने हेतु दायर की गई थी।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 6 अगस्त, 2019 के आदेश *के तहत* अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में दिनांक 21 मई, 2015 की विल की संयुक्त प्रोबेट पहले ही दे दी थी, बशर्ते कि उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान

किया जाए। तदनुसार, अं.आ. सं. 691/2023 को अनुमति देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने (i) उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान; (ii) बैंक खातों का मूल्यांकन; और (iii) दिनांक 6 अगस्त, 2019 के पहले के आदेश के तहत जारी किए गए प्रशासन/प्रोबेट के पत्र प्रदान करने का निर्देश दिया।

4. इस अपील में पक्षकारों की रैंक और स्थिति वही है जो प्रोबेट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष थी।

5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रोबेट याचिका दायर की गई है, जिसमें दिनांक 21 मई, 2015 की अंतिम विल और वसीयतनामा की प्रोबेट की मांग की गई है, जिसे स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंग यानी अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता द्वारा निष्पादित किया गया था। दिनांक 21 मई, 2015 की उक्त विल की वैधता को प्रोबेट याचिका में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा स्वीकार किया गया था और तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 6 अगस्त, 2019 के आदेश *के तहत* उक्त याचिका को अनुमति दी और उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान के अधीन अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में दिनांक 21 मई, 2015 की विल की संयुक्त प्रोबेट प्रदान की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त आदेश *के तहत* पक्षों को अधिकृत मूल्यांकन के माध्यम से संपत्ति का मूल्यांकक कराने का निर्देश दिया।

5.1. प्रत्यर्थी सं. 2 ने दिनांक 6 अगस्त, 2019 के उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए अं.आ. सं. 18691/2023 दायर की, जिसमें स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह

बंगा के नाम पर विभिन्न एनआरई सावधि जमाओं और एनआरई खातों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक, एनआरआई शाखा, मुंबई द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण को अभिलेख में रखने की मांग की गई, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने आरोपित निर्णय *के तहत* अनुमति दे दी है।

5.2. एसबीआई के पास रखी गई एनआरई सावधि जमा राशि दिनांक 21 मई, 2015 की विल में वसीयत का विषय है और प्रत्यर्थी सं. 2 विल में की गई वसीयत के अनुसार उक्त जमाराशि का एकमात्र लाभार्थी है।

5.3. अपीलार्थी ने अं.आ. सं. 18691/2023 के प्रति उत्तर दाखिल किया तथा उक्त एनआरई सावधि जमा के लिए प्रशासन पत्र विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 2 को दिए जाने का इस आधार पर विरोध किया कि विल के तहत वसीयत सशर्त है तथा चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने उसमें उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए एनआरई सावधि जमा का हस्तांतरण विल की शर्तों के अनुसार नहीं बल्कि निर्वसीयत उत्तराधिकार कानून के अनुसार होगा तथा इसे अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच 50-50 अनुपात में विभाजित किया जाना है।

5.4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के तर्कों को खारिज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि वसीयत से जुड़ी किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ था और इसलिए, आवेदन को स्वीकार कर लिया और दिनांक 21 मई, 2015 की विल के तहत की गई वसीयत के अनुसार प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में प्रशासन/प्रोबेट पत्र को मंजूरी दे दी।

6. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त अं.आ. सं. 18691/2023 को अनुमति देने में गलती की है, क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में एनआरई सावधि जमा की वसीयत इस शर्त के अधीन संचालित होनी थी कि उक्त एनआरई सावधि जमा को दस वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा और उक्त जमा के खिलाफ जारी बैंक गारंटी दस वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगी।

6.1. उन्होंने कहा कि हालांकि, यह सच है कि उक्त एनआरई सावधि जमाओं के खिलाफ बनाए गए बैंक गारंटियों को जून, 2016 में सीए इंडोसुएज (स्विट्जरलैंड), सिंगापुर शाखा ('सिंगापुर शाखा') द्वारा लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि बैंक गारंटी वसीयतकर्ता द्वारा सिंगापुर बैंक से लिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी का मानना है कि ऋण एक ट्रस्ट द्वारा लिया गया था और उक्त ट्रस्ट का लाभार्थी प्रत्यर्थी सं. 2 था। उन्होंने कहा कि चूंकि ट्रस्ट उक्त ऋण चुकाने में विफल रहा, इसलिए बैंक द्वारा गारंटी लागू की गई और साथ ही एनआरई सावधि जमाओं का भी उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रत्यर्थी सं. 2, बैंक गारंटी के आह्वान से पहले ही लाभान्वित हो चुका है।

6.2. उनका कहना है कि वर्ष 2016 में बैंक गारंटी के नकदीकरण के साथ, सशर्त वसीयत का उल्लंघन किया गया है और इसलिए प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में एनआरई सावधि जमा के संबंध में विशेष वसीयत विफल हो गई है। उन्होंने

कहा कि इस प्रकार एनआरई सावधि जमा के हस्तांतरण को विल से बाहर रखा जाना चाहिए और इसे बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा मुंबई में एक अलग वाद दायर किया गया है।

6.3. उनका कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21 मई, 2015 की विल के दायरे से बाहर जाकर, उक्त विल की स्पष्ट शब्दों से परे व्याख्या की तथा वसीयतकर्ता पर ऐसे इरादे आरोपित किए, जो अभिलेख से प्रमाणित नहीं होते।

7. जवाब में, प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ केवल एक बाद का विचार है। उन्होंने कहा कि बैंक गारंटी वर्ष 2016 में लागू की गई थी, जबकि प्रोबेट याचिका जुलाई, 2017 में दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि बैंक गारंटी का आह्वान अपीलार्थी की जानकारी में था और प्रोबेट याचिका में ऐसा कोई अपवाद नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने 6 अगस्त, 2019 को प्रोबेट के अनुदान पर अपनी कोई आपत्ति नहीं जताई और किसी भी स्तर पर, अपीलार्थी ने दिनांक 21 मई, 2015 की विल के संचालन के दायरे से एनआरई सावधि जमा को बाहर करने का यह दावा नहीं किया।

8. हमने पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. प्रोबेट याचिका यानी वसीयती वाद सं. 36/2017 अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21 मई, 2015 को विल के लिए प्रशासन/प्रोबेट के पत्र की मांग करते हुए दायर की गई थी। प्रोबेट याचिका के साथ संलग्न संपत्तियों की अनुसूची में, एनआरई सावधि जमा को अपीलार्थी द्वारा विधिवत सूचीबद्ध किया गया था। बेशक, विल में वसीयत के अनुसार, एनआरई सावधि जमा को विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 2 पर हस्तांतरित किया जाना था।

10. अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि बैंक गारंटी को सिंगापुर बैंक द्वारा लागू किया गया था और दिनांक 1 जून, 2016 को जब्त कर लिया गया था। बैंक गारंटी के लागू होने के परिणामस्वरूप, एनआरई सावधि जमा का कुछ हिस्सा एसबीआई द्वारा उपयोग किया गया था। यह सब प्रोबेट याचिका दायर करने से पहले हुआ था और अपीलार्थी की जानकारी में था। हालांकि, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में उक्त एनआरई सावधि जमा के संबंध में वसीयत की विफलता का कोई तर्क नहीं दिया।

11. प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्रोबेट कार्यवाही में भाग लिया और विल की वैधता को स्वीकार किया। चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 विल के तहत लाभार्थी है, इसलिए उसने अपने और अपीलार्थी के पक्ष में संयुक्त प्रोबेट प्रदान करने की प्रार्थना की।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने विल की वैधता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद दिनांक 6 अगस्त, 2019 के आदेश *के माध्यम* से अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में संयुक्त प्रोबेट प्रदान किया।

13. अभिलेख के अनुसार, अपीलार्थी ने दिनांक 11 मई, 2023 को प्रत्यर्थी सं. 2 को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एनआरई सावधि जमा विल के तहत की गई वसीयत द्वारा शासित नहीं होंगे। यह आरोप लगाया गया कि वे विल के दायरे से बाहर हैं और इसका हस्तांतरण बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा शासित होगा।

14. हम देख सकते हैं कि अपीलार्थी ने किसी भी बिंदु पर [2017 से 2023 के दौरान] प्रोबेट कार्यवाही में आरोप नहीं लगाया कि प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में एनआरई सावधि जमा की वसीयत को वर्ष 2016 में बैंक गारंटी के आह्वान के कारण प्रभावी नहीं किया जाना है। उक्त आपत्ति को पहली बार दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 को अं.आ. सं. 18691/2023 पर दायर उत्तर में प्रोबेट कार्यवाही में उठाया गया है।

15. अं.आ. सं. 18691/2023 प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 5 सितंबर, 2023 को दायर की गई थी और उसके बाद ही अपीलार्थी ने उक्त अं.आ. सं. 18691/2023 के निर्णय को विफल करने के लिए मुंबई के न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

16. ऊपर उल्लिखित तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि विल में की गई वसीयत के अनुसार प्रत्यर्थी सं. 2 पर एनआरई सावधि जमा के हस्तांतरण पर अपीलार्थी की आपत्ति एक बाद का विचार है।

17. अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष इस बात पर विवाद नहीं किया है कि वसीयतकर्ता द्वारा सिंगापुर बैंक से लिया गया ऋण बैंक गारंटी के आह्वान के साथ चुकाया गया है; और ऋण के उक्त पुनर्भुगतान या बैंक गारंटी के आह्वान से अपीलार्थी को विरासत में मिली संपत्ति पर कोई बोझ नहीं पड़ा है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बैंक गारंटी के आह्वान के साथ, एनआरई सावधि जमा का कुछ हिस्सा भी एसबीआई द्वारा एक साथ उपयोग किया गया था। ये सभी घटनाएँ दिनांक 6 अगस्त, 2019 को प्रोबेट के अनुदान से पहले हुईं और अपीलार्थी की जानकारी में थीं। इसलिए, अब वर्ष 2023 में पहली बार आपत्ति उठाई गई कि शेष एनआरई सावधि जमा प्रोबेट के दायरे से बाहर हैं और विल अस्थिर है और प्रामाणिक नहीं है।

18. विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि एनआरई सावधि जमा को एसबीआई द्वारा जारी बैंक गारंटी को सुरक्षित करने के लिए दस वर्षों तक जारी रखने का इरादा था, अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों के आधार पर उचित है और वर्ष 2016 में बैंक गारंटी के समाप्त हो जाने के साथ, एनआरई सावधि जमा को दस वर्षों की निरंतर अवधि के लिए बनाए रखने की शर्त निरर्थक हो गई है।

19. विद्वान एकल न्यायाधीश ने वसीयत के पैराग्राफ 16 से 24 में संलग्न शर्त की उचित व्याख्या की है, जो इस प्रकार है:-

"16. अब विवाद को समझने के लिए, दिनांक 21.05.2015 की विल की अपेक्षित धारा को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है: -

> *"जैसा कि ऊपर उल्लेखित संपत्तियों के विवरण में चल संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत क्रमांक 5 पर उल्लिखित बंगा हरबंस सिंह के नाम से एसबीआई एनआरआई शाखा मुंबई में रखे गए एनआरई सावधि जमा के संबंध में, इन जमाराशियों को कम से कम दस (10) वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखा जाना चाहिए और इन जमाराशियों के खिलाफ दी गई बैंक गारंटी कम से कम दस 10 वर्षों की अवधि के लिए जारी रहनी चाहिए, बशर्ते दोनों बैंक बैंक गारंटी सुविधा प्रदान करना और विस्तारित करना जारी रखें। उपर्युक्त शर्त के पूरा होने/पालन के आधार पर, उक्त एनआरई सावधि जमा और एनआरई खाता श्री बंगा विकास (पासपोर्ट सं. YA4408600 धारक) को दिया जाना चाहिए, जो 194, 931/1 चारोन्नाकोम रोड, सोई 15/ ए. क्लोंगथोनसाई, क्लोंगसन, बैंकॉक 10600 थाईलैंड के निवासी हैं।"*
>
> *(जोर दिया गया)*

17. यह चुनौती के दायरे में नहीं है कि वर्तमान याचिका के पक्षकारों के पिता स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा की ओर से कुछ ऋण लिए गए थे और विल में उक्त ऋणों को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी दी गई थी। यह प्रावधान किया गया था कि इन बैंक गारंटियों को कम से कम दस वर्षों तक चालू रखा जाए और जो भी शेष बचे तथा उपरोक्त का पालन किया जाए, एनआरई सावधि जमा और एनआरआई खाता आवेदक/प्रत्यर्थी सं. 2 को दिया जाए।

18. इसमें कोई चुनौती नहीं है कि जिन ऋणों के लिए बैंक गारंटी दी गई थी, उनका भुगतान जुलाई, 2016 में कर दिया गया और स्वर्गीय श्री हरबंस टेस्ट सीएएस 36/2017 पेज 6 में से 5 सिंह बंगा की देनदारियों को देखते हुए बैंक गारंटी भुना ली गई।

19. बैंक गारंटी को चालू रखने का पूरा उद्देश्य केवल किसी भी बकाया देनदारियों को पूरा करना था। दस साल की शर्त स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा की देनदारियों को पूरा होने में दस साल से कम समय नहीं लगने की प्रत्याशा में लगाई गई थी। विल के इरादे को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि बैंक गारंटी को केवल स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए चालू रखा गया था।

20. चूंकि देनदारियां वर्ष 2016 में पूरी हो चुकी हैं, इसलिए बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है। जब उन्हें चालू रखने का पूरा लक्ष्य और उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था, तो उसके बाद बैंक खाते को चालू रखने का कोई कारण नहीं था। दस साल की अवधि प्रत्यर्थी सं. 2 को आय हस्तांतरित करने के लिए एक शर्त नहीं थी, बल्कि यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा के बच्चों पर उनके जीवनकाल के दौरान उनके द्वारा उठाए गए दायित्वों का बोझ न पड़े।

21. गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.05.2015 की विल के तहत उसे दी गई बारह अचल संपत्तियों की सीमा तक लाभ प्राप्त किया है, जिसके लिए प्रत्यर्थी सं. 2 ने कोई आपत्ति नहीं की थी, अब वह आवेदक/प्रत्यर्थी सं. 2 को दिनांक 21.05.2015 की विल के तहत दिए गए लाभों को अस्वीकार करने के लिए तथ्यों में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है।

22. दिनांक 21.05.2015 की वसीयत में प्रयुक्त भाषा यह है कि "इन जमाराशियों को कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाना चाहिए, बशर्ते दोनों बैंक बैंक गारंटी सुविधा प्रदान करना और विस्तार करना जारी रखें"।

23. दस साल की अवधि दोनों बैंकों द्वारा बैंक गारंटी सुविधा प्रदान करने और विस्तार के अधीन थी। एक बार जब ऋण का भुगतान कर दिया गया है और दस साल की समय सीमा के भीतर बैंक गारंटी रखने की आवश्यकता पूरी हो गई है, तो बैंक खाते को दस साल से कम समय तक जारी रखने की शर्त की संतुष्टि न होने का कोई सवाल ही नहीं है।

24. प्रत्यर्थी सं. 2 भारतीय स्टेट बैंक, एनआरआई शाखा, मुंबई के संबंध में उसके पक्ष में की गई वसीयत का हकदार है।"

20. विल की दस साल की अवधि की उक्त शर्त के बारे में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई व्याख्या उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी ने स्वयं उक्त वसीयत के साथ विल में वसीयतकर्ता द्वारा निर्धारित दस वर्ष की शर्त के लिए कोई अन्य कारण/आधार की वकालत नहीं की है। अपीलार्थी का यह तर्क कि दस साल की शर्त का पालन औपचारिक रूप से किया जाना चाहिए, हमें स्वीकार्य नहीं है।

21. अपीलार्थी का यह तर्क कि वसीयत की व्याख्या करना वसीयतकर्ता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गलत है और कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत है, जैसा कि ***नवनीत लाल बनाम गोकुल*** और ***सदाराम सूर्यनारायण बनाम कल्ला सूर्य कंठम*** में उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है।

22. तदनुसार, वर्तमान अपील गुणागुण रहित है और खारिज की जाती है।

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

22 मार्च, 2024/एचपी/आरएचसी/एए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*